UJJIVAN SMALL FINANCE BANK
दूसरा तल, जीएमटीटी भवन डी-7 सैक्टर 3 नोएडा उ.प्र. 201301

सार्वजनिक प्रकाशन के माध्यम से वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत डिमांड नोटिस

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कर्जदार द्वारा बैंक से प्राप्त की गई ऋण सुविधाएं की प्रधान राशि और ब्याज की पुनः अदायगी में चूक की है तथा कथित सुविधाओं को नीचे वर्णित प्रत्येक खाते के अंतर्गत नॉन-परफॉर्मिंग असैट्स के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत कर्जदार/गारंटरों को उनके अंतिम ज्ञात पतों पर नोटिस जारी किए थे, तथापि नोटिस अवितरित वापिस आ गए है और प्राधिकृत अधिकारी को विश्वास का कारण है कि कर्जदार/गारंटर नोटिस की सेवाओं से बच रहे है, इसलिए उन्हें इस नोटिस के बारे में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से एतद्द्वारा सूचित किया जाता है।

शाखा और कर्जदार /गारंटर के नाम	प्रतिभूतित परिसंपत्तियों का विवरण	एनपीए की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि	डिमांड नोटिस के अनुसार बकाया
शाखाः कंकरखेड़ा (यूपी)				
1. **फराहना खातून पत्नी साजिद खान** उर्फ साजिद (उधारकर्ता) 186, रोहटा रोड, मुरलीपुर, गुलाब. पोस्ट. एमआईईटी, मेरठ सिटी आर.एस., मेरठ, उत्तर प्रदेश- 250002, 2. **साजिद खान उर्फ साजिद** पुत्र अलीहसन (सह-उधारकर्ता/गारंटर) 186, रोहता रोड, मुरलीपुर, गुलाब. पोस्ट. एमआईईटी, मेरठ सिटी आर.एस., मेरठ, उत्तर प्रदेश- 250002 एमएलएपी ऋण (खाता संख्या 22602502500000012)।	खसरा संख्या 214 में से आवासीय संपत्ति, जिसका क्षेत्रफल 41.80 वर्ग मीटर या 50 वर्ग गज है, जो मुरलीपुर गुलाब गांव, परगना और तहसील और जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में स्थित के सभी अनिवार्य अंग। जिसकी सीमा इस प्रकार हैः सीमाः पूर्वः रास्ता, पश्चिमः इस्लाम का घर (पुराना) जाहिद का घर (नया), उत्तरः साजिद का प्लॉट (पुराना) अन्य का प्लॉट (नया), दक्षिणः रास्ता (पुराना) अंसार का घर (नया)। संपत्ति साजिद खान @ साजिद पुत्र अलीहसन यानी आप में से नंबर 2 की है। बंधक बनाने के लिए शीर्षक विलेख जमा करने का ज्ञापन दिनांकः 14.11.2023	03.02.2025	01.03.2025	4,40,031/- रू. जो 17.02.2025 को देय है जमा 18.02.2025 से अनुबंधीय दर पर ब्याज व अन्य प्रभार।

उपरोक्त कर्जदारों/गारंटरों को इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंदर नोटिस में वर्णित राशि अदा करने की सलाह दी जाती है जिसमें असफल होने पर नोटिस की तिथि से 60 दिन बाद वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनः निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा कर्जदारों/गारंटरों को किसी तरीके से, जो कुछ भी हो, के माध्यम से बिना बैंक की सहमति के बिना उपरोक्त वर्णित प्रतिभूतित परिसंपत्तियों के साथ लेन देन करने से एतद्द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। यह सूचना बैंक को उपलब्ध किसी अन्य अधिकार के पूर्वाग्रह के बिना है और अधिनियम तथा/या अन्य प्रभावी कानून के अधीन है।

दिनांकः 18.03.2025 स्थानः कंकरखेड़ा (यूपी) प्राधिकृत अधिकारी

फॉर्म संख्या **INC-25A**

समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाने वाला विज्ञापन सार्वजनिक कंपनी के निजी कंपनी में रूपांतरण के लिए

क्षेत्रीय निदेशक, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनी (अधिनियम) नियम, 2014 के नियम 41 के संदर्भ में

तथा

मेसर्स कोप्स इंटरनेशनल लिमिटेड,

जिसका पंजीकृत कार्यालय **220, सेक्टर-10, फरीदाबाद, हरियाणा-121006** पर स्थित है, के संबंध में, ...**आवेदक**

सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त कंपनी केंद्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और उपरोक्त नियमों के तहत आवेदन करने का इरादा रखती है तथा **3 मार्च, 2025** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार निजी लिमिटेड कंपनी में रूपांतरण करने की इच्छुक है, जिससे उक्त रूपांतरण को प्रभावी बनाया जा सके।

कोई भी व्यक्ति, जिसकी इस प्रस्तावित परिवर्तन / कंपनी की स्थिति से संबंधित कोई रुचि प्रभावित हो सकती है, वह इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से **चौदह दिनों** के भीतर अपने आपत्ति-पत्र को हलफनामे के साथ, जिसमें उसकी रुचि और विरोध के आधारों का उल्लेख हो, निम्नलिखित पते पर क्षेत्रीय निदेशक को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर सकता है, डाक द्वारा भेज सकता है या पंजीकृत डाक से प्रेषित कर सकता है।

क्षेत्रीय निदेशक का पताः
बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली -110003

साथ ही, एक प्रति आवेदनकर्ता कंपनी को उसके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजी जाएः
220, सैक्टर-10, फरीदाबाद, हरियाणा-121006

कोप्स इंटरनेशनल लिमिटेड की ओर से
रविंदर प्रकाश खुल्लर
DIN: 00354689

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK
दूसरा तल, जीएमटीटी भवन डी-7 सैक्टर 3 नोएडा (उ.प्र.) 201301

कब्जा सूचना (अचल संपत्तियों के लिए) [नियम-8(1)]

चूंकि, **उज्जीवन स्माल फाइनांस बैंक लि.** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनःनिर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) के नियमों, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कथित नोटिस के प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में वर्णित राशि की अदायगी के लिए कर्जदार/गारंटर को आमंत्रित करते हुए यहां नीचे वर्णित तिथियों को कर्जदारों/गारंटरों को डिमांड नोटिस जारी किया था।
कर्जदार/ सह-कर्जदार/रेहनकर्ता द्वारा राशि की अदायगी करने में असफल रहने पर कर्जदार/रेहनकर्ता, सह-कर्जदार/रेहनकर्ता व सामान्य तौर पर जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन नियमों, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के अंतर्गत वर्णित तिथियों को यहां नीचे वर्णित सम्पत्तियों का **प्रतीकात्मक कब्जा** ले लिया है।
कर्जदार/रेहनकर्ता, सह-कर्जदार/रेहनकर्ता व सह-कर्जदार के ध्यान में लाया जाता है कि कथित अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिभूतित सम्पत्तियों को बचाने के समय उपलब्ध है।
कर्जदार/रेहनकर्ता, सह-कर्जदार/रेहनकर्ता व सह-कर्जदार को विशेष तौर पर व आम जनता को सामान्य तौर पर कथित नीचे वर्णित सम्पत्तियों के साथ लेन-देन करने से एतद्द्वारा सावधान किया जाता है और कथित सम्पत्तियों के साथ कोई भी लेन प्रत्येक खाते के अंतर्गत यहां नीचे वर्णित राशि के अलावा ब्याज व अन्य प्रभार/खर्चे के लिए **उज्जीवन स्माल फाइनांस बैंक लि.** के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदार/सह-कर्जदार/ रेहनकर्ता के नाम	अचल संपत्तियों का विवरण	डिमांड नोटिस की तिथि	कब्जे की तिथि	डिमांड नोटिस के अनुसार बकाया
(1) **इशांत उर्फ इशांत जिंदल पुत्र महेंदर उर्फ महेंदर जिंदल** निवासी मकान नंबर 364/28, गली नंबर 2, श्याम नगर, सोनीपत, हरियाणा-131001, (2) **ऋचा जैन पत्नी बाल किशन,** निवासी मकान नंबर 364/28, गली नंबर 2, श्याम नगर, सोनीपत, हरियाणा-131001 इसके अलावाः **ऋचा जैन पत्नी बाल किशन,** झुग्गी नंबर 15, जे.जे. कैंप भगवान पुरा, समयपुर, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली -110042। ऋण खाता संख्या 2264210080000039 में	मायापुरी कॉलोनी, तहसील और जिला सोनीपत, हरियाणा जो सोनीपत की एमसी सीमा के भीतर वका रकबा मोजा कालूपुर में स्थित 53 वर्ग गज यानी 1 बिस्वा, कुल 7 बीघा-7 बिस्वा भूमि में से 1/147 हिस्सा वाला प्लॉट, खेवट नंबर 510, खाता नंबर 671, खसरा नंबर 178 (6-2), 184 (1-5) में शामिल के सभी अनिवार्य अंग, जिसकी सीमा इस प्रकार हैः सीमाः पूर्वः अन्य का प्लॉट, पश्चिमः अन्य का प्लॉट, उत्तरः सड़क, दक्षिणः अन्य का प्लॉट। संपत्ति ऋचा जैन पत्नी बाल किशन यानी आप में से नंबर 2 की है।	23.12.2024	18.03.2025	3,72,112/- रू. जो 19.12.2024 को देय है व उस पर ब्याज।

दिनांकः 18.03.2025 स्थानः सोनीपत (हरियाणा) प्राधिकृत अधिकारी

केन्द्र सरकार के समक्ष
एलएलपी रजिस्ट्रार, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा चौथा तल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमित दायित्व साझेदारी नियम, 2009 के नियम 17 के मामले में सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008, धारा 13(3) के मामले में
और
सनराइज टेक्नोबिल्ड एलएलपी
जिसका पंजीकृत कार्यालय एफ-107, आदित्य कॉम्प्लेक्स, एलएससी सविता विहार, दिल्ली-110092 में है, के मामले में
.....आवेदक

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एलएलपी अपने पंजीकृत कार्यालय को "रा.रा. क्षेत्र दिल्ली-एफ-107, आदित्य कॉम्प्लेक्स, एलएससी सविता विहार, दिल्ली-110092" से "उत्तराखण्ड-सी/ओ मंजीत जौहर 181 आपोजिट अखण्ड आश्रम हरिद्वार रोड ऋषिकेश डिस्ट्रिक्ट-देहरादून पिन-249201 उत्तराखण्ड" में स्थानांतरित करने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13(3) के अंतर्गत कंपनी पंजीयक, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली के पास एक याचिका दाखिल करने का प्रस्ताव करती है।

कोई भी व्यक्ति जिसका एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, वह अपने हित के प्रभाव से संबंधित आश्रय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा एलएलपी रजिस्ट्रार, **रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा चौथा तल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019** के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से एक्कीस दिनों (21) के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति याचिकाकर्ता एलएलपी के उपरोक्त वर्णित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए।

कृते की ओर से
सनराइज टेक्नोबिल्ड एलएलपी
हस्ता/-
दिनांक : 17.03.2025 मानव जौहर
स्थान : दिल्ली नियुक्त साझेदार
डीआईएन : 00763936

सूचना

फॉर्म संख्या एनसीएलटी. 3ए
विज्ञापन विस्तृत याचिका
(नियम 35 देखें)

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण नई दिल्ली पीठ नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी याचिका सी.पी. (सी.ए.ए.) संख्या 13/एनडी/2025 संबंधित
कंपनी आवेदन सी.ए. (सी.ए.ए.) संख्या 33/एनडी/2024

इस मामले में
कंपनी अधिनियम, 2013.

और मामले में
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के तहत याचिका।

और मामले में
समामेलन की योजना।

और मामले में

नवीतास क्लीनटेक प्राइवेट लिमिटेड, (सीआईएनः U46610DL2011PTC225837) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय WZ 106/101, राजौरी गार्डन एक्सटेंशन, नई दिल्ली, भारत, 110027 में है, जो इस माननीय न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है।

..........**याचिकाकर्ता हस्तान्तरणकर्ता कंपनी नं. 1**

तथा

नवीतास ग्रीन पावर (ईंधन प्रबंधन) प्राइवेट लिमिटेड, (सीआईएनः U74999DL2012PTC232807) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय WZ 106/101, राजौरी गार्डन एक्सटेंशन, नई दिल्ली, भारत, 110027 में है, जो इस माननीय न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है।

..........**याचिकाकर्ता हस्तान्तरणकर्ता कंपनी नं. 2**

एनक्यूबेट इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएनः U93000DL2011PTC222104) के साथ, जो कंपनी अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निगमित कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय WZ 106/101 राजौरी गार्डन एक्सटेंशन, नई दिल्ली, भारत, 110027 में है, जो इस माननीय न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है।

.................याचिकाकर्ता हस्तांतरिति कम्पनी

याचिका की सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के तहत प्रस्तावित विलय योजना को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के मंजूरी देने की मांग करते हुए एक याचिका (i) नवितास क्लीनटेक प्राइवेट लिमिटेड ("याचिकाकर्ता हस्तांतरणकर्ता कंपनी नंबर 1") और (ii) नवितास ग्रीन पावर (फ्यूल मैनेजमेंट) प्राइवेट लिमिटेड ("याचिकाकर्ता हस्तांतरणकर्ता कंपनी नंबर 2") और (iii) एनक्यूबेट इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ("याचिकाकर्ता हस्तांतरिती कंपनी") द्वारा संयुक्त रूप से 12 फरवरी, 2025 को प्रस्तुत की गई थी और उक्त याचिका अब 04 अप्रैल 2025 को माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की नई दिल्ली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए निर्धारित की गई है।

उक्त याचिका का समर्थन या विरोध करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता को अपने इरादे की सूचना, अपने नाम और पते के साथ, अपने या अपने अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित भेजनी चाहिए, ताकि याचिका की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम 02 (दो) दिन पहले याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता तक पहुँच जाए। जहाँ वह याचिका का विरोध करना चाहता है, वहाँ विरोध के आधार या उसके हलफनामे की एक प्रति ऐसी सूचना के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

याचिका की एक प्रति नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी।

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 19 मार्च, 2025

हस्ता/-
संजीव जैन
(पीआरए लॉ ऑफिस)
याचिकाकर्ता कंपनियों के वकील
डब्ल्यू-126, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110048,
फोन नं. 011-4067 6767

प्रपत्र सं. 3 [विनियम-13 (1)(ए) देखें]

ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)

प्रथम तल, एससीओ नं. 33-34-35 सेक्टर-17 ए, चंडीगढ़ (तृतीय एवं चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्थल आबंटित किया गया है)

प्रकरण सं. : ओए/874/2024

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अंतर्गत न्यायालयी आदेश (समन्स)।

एक्स. नं.: 25424
केनरा बैंक
विरुद्ध
श्रीमती पिंकी पत्नी श्री मनमोहन कुमार शाह

प्रति,
1. **श्रीमती पिंकी पत्नी श्री मनमोहन कुमार शाह,** निवासी- ए5124ए, बार्ड, 4-डाबुआ कॉलोनी, फरीदाबाद 121005 हरियाणा, अन्य पता **यहां पर भी :** श्रीमती पिंकी पत्नी श्री मनमोहन कुमार शाह, निवासी- 2478, 27 फीट रोड, डाबुआ कॉलोनी, फरीदाबाद, हरियाणा-121005

न्यायालयी आदेश (समन्स)

जबकि, ओए/874/2024, दिनांक **20/02/2025** को माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। जबकि, यह माननीय अधिकरण **रू. 71,20,224.06/-** के ऋणों की वसूली हेतु आपके विरुद्ध दर्ज अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत उक्त आवेदन, (ओए) पर न्यायालयी आदेश अर्थात् समन्स / सूचना निर्गत करके संतुष्ट है (आवेदन, प्रलेखों इत्यादि की प्रतियों के साथ संलग्न है)।

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार, आप अर्थात् प्रतिवादियों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है कि :-

(1) न्यायालयी आदेश अर्थात् समन्स प्रसारित होने के तीस दिवसों के अंदर हमें कारण बताएं / दिखाएं कि जिस राहत हेतु प्रार्थना की गई है, उसे स्वीकृत क्यों नहीं किया जाना चाहिए;
(2) आवेदक द्वारा मूल आवेदन-पत्र के क्रमांक 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई संपत्तियों एवं परिसंपत्तियों के अतिरिक्त अन्य संपत्तियों अथवा परिसंपत्तियों के विवरण प्रकट करना;
(3) आपको, संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई और निस्तारण के लंबित रहने तक, मूल आवेदन-पत्र के क्रमांक 3ए के तहत प्रकट की गई प्रतिभूत परिसंपत्तियों या ऐसी अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों का लेन-देन करने या निस्तारण करने से प्रतिबंधित किया जाता है;
(4) आप, अधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना, अपने व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के अलावा, किसी भी ऐसी परिसंपत्ति, जिस पर प्रतिभूति हित सृजित किया गया है उसको और / या मूल आवेदन-पत्र के क्रमांक 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट या प्रकट की गईं अन्य परिसंपत्तियों एवं संपत्तियों को बिक्री, पट्टे के माध्यम से या अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेंगे;
(5) आप व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के तहत प्रतिभूत परिसंपत्तियों या अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त बिक्री-आय के लिए उत्तरदायी होंगे और ऐसी बिक्री-आय को, ऐसी परिसंपत्तियों पर प्रतिभूति हित धारण करनेवाले बैंक या वित्तीय संस्थानों के पास अनुरक्षित खाते में जमा करेंगे।

आपको, लिखित विवरण, आवेदक को इसकी एक प्रति प्रेषित करने के दायित्व निर्वहन के साथ, **प्रस्तुत करने और 29-04-2025 को प्रातः 10:30 बजे** रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है। ऐसा न करने पर आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और आपकी अनुपस्थिति में निर्णय ले लिया जायेगा।

आज दिनांक : 21/02/2025 को मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकरण की मुद्रा के अंतर्गत निर्गत।

रजिस्ट्रार आई/सी
डीआरटी-II, चंडीगढ़

EXIT OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS OF THE
EASTERN DOOARS TEA CO. LTD.
CIN: U15492WB1917PLC002823;
Registered Office: 8, Camac Street, 4th Floor, Shantiniketan Bldg., Kolkata - 700017;
Phone: +91-33-2282 9303;
Email: easterndooars@gmail.com; Website: http://www.nahata-group.com/

This Exit Offer Public Announcement dated March 18, 2025 **("Exit Offer PA3")** is being issued by Intelligent Money Managers Private Limited **("Manager to the Exit Offer")** for and on behalf of Bijni Dooars Tea Co. Ltd., member of the Promoter Group **("the Acquirer")** of Eastern Dooars Tea Co. Ltd. **("EDTCL"/"the Company")** to the remaining Public Shareholders **("Residual Public Shareholders")** of the Company pursuant to Regulation 27(1)(a) of Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 **("SEBI Delisting Regulations")** in accordance with terms and conditions set out in the Exit Letter of Offer dated September 06, 2024 **("Exit LOF")**.

This Exit Offer PA3 is in continuation to and should be read in conjunction with the Exit LOF. Capitalized terms used but not defined in this Exit Offer Pa3 shall have the same meaning assigned to them in the Exit LOF.

1. DATE OF DELISTING

1.1. The Calcutta Stock Exchange Limited **("CSE")** vide its letter reference no CSE/LD/16373/2024 dated September 03, 2024 has informed that the equity shares of the Company have been delisted from CSE effective from September 04, 2024 **("Delisting Date")**.

2. INVITATION TO RESIDUAL PUBLIC SHAREHOLDERS TO AVAIL THE EXIT OFFER

2.1. A separate Exit LOF along with Exit Offer Application Form containing the terms and conditions for participation of the Residual Public Shareholders during the period of one year starting from the date of delisting i.e., from Wednesday, September 04, 2024 to Wednesday, September 03, 2025 (both days inclusive) **("Exit Period")** has already been dispatched on September 13, 2024 by the Acquirer to the Residual Public Shareholders whose names appears in the register of members as on Friday, September 06, 2024. The Residual Public Shareholders are requested to avail the Exit Offer by tendering their equity shares at Rs. 278/- per equity share **("Exit Price")** during the Exit Period, by submitting the required documents to the Registrar to the Exit Offer as set out in Exit LOF.

2.2. In the event the Residual Public Shareholders do not receive or misplace the Exit LOF, they may obtain a copy by writing to the Registrar to the Exit Offer with the envelope marked **"EDTCL-EXIT OFFER"**. A soft copy of this Exit LOF along with Exit Offer Application Form can be downloaded from the website of the Company i.e., **http://www.nahata-group.com/** or the website of the Manager to the Exit Offer i.e. **www.intelligentgroup.org.in/**.

2.3. For the period/ quarter starting from March 01, 2025 and ending on May 31, 2025, follow-up communication to Residual Public Shareholders has been sent on March 13, 2025 & March 15, 2025 by email & on March 15, 2025 by registered post in terms Regulation 27(1)(b) of SEBI Delisting Regulations by the Acquirer to the Residual Public Shareholders whose names appears in the register of members as on Friday, February 28, 2025.

3. PAYMENT OF CONSIDERATION TO RESIDUAL PUBLIC SHAREHOLDERS

Subject to fulfilment of the terms and conditions mentioned in the Exit LOF, the Acquirer intends to make payment on a monthly basis, within 10 working days at the end of the calendar month in which equity shares have been validly tendered **("Monthly Payment Cycle")**. Payments will be made only to those Residual Public Shareholders who have validly tendered their equity shares by following the instructions as set out in the Exit LOF and Exit Offer Application Form. The Acquirer reserves the right to make payment earlier. Settlement of payment has been completed successfully to all the shareholders who have validly tendered their equity shares during the period from December 01, 2024 to February 28, 2025.

If any Residual Public Shareholders have any query with regard to this Exit Offer/ Exit Period, they may contact the Registrar to the Exit Offer or the Manager to the Exit Offer. All other terms and conditions of the Exit Offer as set forth in the Exit Offer PA and Exit Offer LOF shall remain unchanged.

Intelligent Money Managers Private Limited **CIN:** U65923WB2010PTC156220 2nd Floor, YMCA Building 25, Jawaharlal Nehru Road, Kolkata - 700087; Tel.No.:+91-33-4065 6289; **Email:** info@intelligentgroup.org.in; **Website:** www.intelligentgroup.org.in/; **Contact Person:** Mr.Amit Kumar Mishra; **SEBI Registration No.:** INM000012169; **Validity Period:** Permanent.	**Niche Technologies Pvt. Ltd.** **CIN:** U74140WB1994PTC062636 3A Auckland Place, 7th Floor, Room No. 7A & 7B, Kolkata - 700017 **Tel. No.:** 033-2280 6616/17/18; **Fax:** 033-2280 6619; **Contact Person:** Mr.Ashok Sen; **Email:** nichetechpl@nichetechpl.com; **Website:** https://www.nichetechpl.com; **SEBI Registration Number:** INR000003290; **Validity Period:** Permanent.

For and on behalf of Bijni Dooars Tea Co. Ltd. (Acquirer)
Sd/-
(Surendra Kumar Nahata)
Date : March 18, 2025 **Managing Director**
Place : Kolkata **DIN: 00025510**

ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)
प्रथम तल, एससीओ नं. 33-34-35 सेक्टर-17 ए, चंडीगढ़
(तृतीय एवं चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्थल आबंटित किया गया है)

एक्स. नं.: 25535 **न्यायालयी आदेश (समन्स)** प्रकरण सं. : ओए/71/2025

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अंतर्गत न्यायालयी आदेश (समन्स)।

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक
विरुद्ध
मैसर्स एसके ट्रांसपोर्ट कंपनी तथा अन्य

प्रति,
(1) मैसर्स एसके ट्रांसपोर्ट कंपनी तथा अन्य
मैसर्स एसके ट्रांसपोर्ट कंपनी एक प्रोप्राइटरशिप फर्म नंगला अहसानपुर, खटेला सराय 86, तहसील होडल, जनपद पीएएलवी/एएल, हरियाणा 121005
अपने प्रोपराइटर सद्दाम हुसैन, पीएएलवी/एएल, हरियाणा के माध्यम से
(2) सद्दाम हुसैन
एसओ इशाब, मैसर्स एसके ट्रांसपोर्ट कंपनी के एकमात्र प्रोपराइटर निवासी नंगला अहसानपुर, खटेला सराय 86, तहसील होडल, जनपद पलवल हरियाणा 121005
(3) समीना
डब्ल्यूओ इशाब, निवासी नंगला अहसानपुर, खटेला सराय 86, तहसील होडल, जनपद पलवल हरियाणा 121005

जबकि, ओए/71/2025, दिनांक **05/03/2025** को माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।
जबकि, यह माननीय अधिकरण रु. 41,97,795.561/- के ऋणों की वसूली हेतु आपके विरुद्ध दर्ज अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत उक्त आवेदन, (ओए) पर न्यायालयी आदेश अर्थात् समन्स / सूचना निर्गत करके संतुष्ट है (आवेदन, प्रलेखों इत्यादि की प्रतियों के साथ संलग्न है)।
अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार, आप अर्थात् प्रतिवादियों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है कि :-
(1) न्यायालयी आदेश अर्थात् समन्स प्रसारित होने के तीस दिवसों के अंदर हमें कारण बताएं / दिखाएं कि जिस राहत हेतु प्रार्थना की गई है, उसे स्वीकृत क्यों नहीं किया जाना चाहिए;
(2) आवेदक द्वारा मूल आवेदन-पत्र के क्रमांक 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई संपत्तियों एवं परिसंपत्तियों के अतिरिक्त अन्य संपत्तियों अथवा परिसंपत्तियों के विवरण प्रकट करना;
(3) आपको, संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई और निस्तारण के लंबित रहने तक, मूल आवेदन-पत्र के क्रमांक 3ए के तहत प्रकट की गई प्रतिभूत परिसंपत्तियों या ऐसी अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों का लेन-देन करने या निस्तारण करने से प्रतिबंधित किया जाता है;
(4) आप, अधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना, अपने व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के अलावा, किसी भी ऐसी परिसंपत्ति, जिस पर प्रतिभूति हित सृजित किया गया है उसको और / या मूल आवेदन-पत्र के क्रमांक 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट या प्रकट की गईं अन्य परिसंपत्तियों एवं संपत्तियों को बिक्री, पट्टे के माध्यम से या अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेंगे;
(5) आप व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के तहत प्रतिभूत परिसंपत्तियों या अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त बिक्री-आय के लिए उत्तरदायी होंगे और ऐसी बिक्री-आय को, ऐसी परिसंपत्तियों पर प्रतिभूति हित धारण करनेवाले बैंक या वित्तीय संस्थानों के पास अनुरक्षित खाते में जमा करेंगे।
आपको, लिखित विवरण, आवेदक को इसकी एक प्रति प्रेषित करने के दायित्व निर्वहन के साथ, प्रस्तुत करने और **20-05-2025 को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रार** के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है। ऐसा न करने पर आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और आपकी अनुपस्थिति में निर्णय ले लिया जायेगा।
आज दिनांक : 06/03/2025 को मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकरण की मुद्रा के अंतर्गत निर्गत।

सील

हस्ता./-
न्यायालयी आदेश (समन्स) निर्गतार्थ प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात- 362266
शाखा कार्यालय : जी कॉर्पोरेशन टेक पार्क, 8वाँ तल, कसार वादावाली, घोड़बंदर रोड, ठाणे, महाराष्ट्र- 400601

माँग सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत)
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना की वैकल्पिक सेवा

एतद्द्वारा निम्न वर्णितानुसार ऋणकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि चूंकि उन्होंने **आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एबीएचएफएल)** से अपने द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा के प्रतिभुगतान में चूक की है, इसीलिए आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी की बहियों में उनके ऋण खातों को **अनिष्पादनीय परिसंपत्तियों** के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। इसके उपरांत, **एबीएचएफएल** ने उक्त ऋणकर्ताओं के अंतिम ज्ञात पतों पर वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफॉएसि अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत **मांग सूचनाएं** निर्गत की थीं, जिनमें उनसे उक्त मांग सूचनाओं में उल्लेखितानुसार उपर्युक्त राशि पर संविदागत दर पर भावी ब्याज तथा आकस्मिक व्ययों, लागत, शुल्कों, इत्यादि के साथ संपूर्ण **बकाया राशि** का प्रतिभुगतान करने के लिए कहा गया था और उनसे इसकी मांग की गई थी। हालांकि मांग सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (सरफॉएसि नियमावली) के नियम 3 के अनुसार, प्रकाशन के माध्यम से भी प्रसारित की जा रही है :

क्र. सं.	ऋणकर्ता / सह-ऋणकर्ता एवं गारंटर / सह-गारंटर का नाम तथा पता और ऋण खाता संख्या	एनपीए तिथि	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना के अनुसार / तिथि के अनुसार देयराशि
1.	1. **उदयपाल सिंह,** एच मकान नंबर वी-23, दूसरी मंजिल, खसरा नंबर 441, सामने की तरफ बिना छत के दाईं ओर, गांव नवादा माजरा हस्तसाल, दिल्ली राज्य दिल्ली कॉलोनी, मोहन गार्डन एक्सटेंशन, ब्लॉक -डब्ल्यू, उत्तम नगर, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली-110059 2. **EYEFRAME.COM** मकान नंबर वी-23, दूसरी मंजिल, खसरा नंबर 441, सामने की तरफ बिना छत के दाईं ओर, गांव नवादा माजरा हस्तसाल, दिल्ली राज्य दिल्ली कॉलोनी, मोहन गार्डन एक्सटेंशन, ब्लॉक-डब्ल्यू, उत्तम नगर, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली-110059 3. **उदयपाल सिंह,** एच मकान नंबर 121-ए, ब्लॉक-एच, शर्मा स्वीट के पास, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली-110059 4. **EYEFRAME.COM** मकान नंबर 121-ए, ब्लॉक-एच, शर्मा स्वीट के पास, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली-110059 5. **EYEFRAME.COM** प्लॉट नंबर 2बी, दुकान नंबर डब्ल्यूजेड-187, उत्तम नगर, नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली-110059, 6. **उदयपाल सिंह** एच वी+पी गदराना अलीगढ़, कोइल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश- 202150 7. **अजय बियाल** हाउस नंबर वी-23, पहली मंजिल, खसरा नंबर 441, सामने की तरफ बिना छत के दाईं ओर, गांव नवादा माजरा हस्तसाल, दिल्ली राज्य दिल्ली कॉलोनी, मोहन गार्डन एक्सटेंशन, ब्लॉक-डब्ल्यू, उत्तम नगर, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली-110059, 8. **आकांक्षा बियाल,** ए हाउस नंबर वी-23, पहली मंजिल, खसरा नंबर 441, सामने की तरफ बिना छत के दाईं ओर, गांव नवादा माजरा हस्तसाल, दिल्ली राज्य दिल्ली कॉलोनी, मोहन गार्डन एक्सटेंशन, ब्लॉक-वी, उत्तम नगर, पश्चिम दिल्ली, दिल्ली-110059, 9. **EYEFRAME.COM** हाउस नंबर वी-23, पहली मंजिल, खसरा नंबर 441, सामने की तरफ बिना छत के दाईं ओर, गांव नवादा माजरा हस्तसाल, दिल्ली राज्य दिल्ली कॉलोनी, मोहन गार्डन एक्सटेंशन, ब्लॉक-वी, उत्तम नगर, पश्चिम दिल्ली, दिल्ली-11005, 10. **अजय बियाल** के-278, के ब्लॉक, राजापुरी, पश्चिम दिल्ली, दिल्ली-110059, 11. **आकांक्षा बियाल,** के-278, के ब्लॉक, राजापुरी, पश्चिम दिल्ली, दिल्ली- 110059, 12. **EYEFRAME.COM** के-278, के ब्लॉक, राजापुरी, पश्चिम दिल्ली, दिल्ली-110059 13. **अजय बियाल** सी/ओ **EYEFRAME.COM** प्लॉट नं. 2बी, दुकान नं. डब्ल्यूजेड-187, उत्तम नगर, नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली-110059 14. **उदयपाल सिंह** (स्वर्गीय हरेन्द्र सिंह जादौन के उपलब्ध कानूनी उत्तराधिकारियों की क्षमता में) मकान नं. वी-23, दूसरी मंजिल, खसरा नं. 441, सामने की तरफ बिना छत के दाहिनी ओर, गांव नवादा माजरा हस्तसाल, दिल्ली राज्य दिल्ली कॉलोनी, मोहन गार्डन एक्सटेंशन, ब्लॉक-डब्ल्यू, उत्तम नगर, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली-110059 15. **उदयपाल सिंह** (स्वर्गीय हरेन्द्र सिंह जादौन के उपलब्ध कानूनी उत्तराधिकारियों की क्षमता में) मकान नं. 121-ए, ब्लॉक-एच, शर्मा स्वीट के पास, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली-110059। ऋण खाता नं. **LNDEL0HL-06230173848** और LNDEL0HL-06230173850	03.03.2025	14.03.2025	**रू. 58,25,160/-** (रुपये अट्ठावन लाख पच्चीस हजार एक सौ साठ मात्र) 05.03.2025 तक बकाया मूलधन, बकायों (प्रोद्भूतकृत विलंब शुल्कों सहित) एवं ब्याज के माध्यम से

बंधककृत अचल संपत्ति / संपत्तियों का विवरण : संपत्ति 1 : दूसरी मंजिल का सामने वाला हिस्सा बिना छत के अधिकार के 62.5 वर्ग गज का क्षेत्रफल, निर्मित संपत्ति संख्या वी-23 से बाहर, कुल क्षेत्रफल 125 वर्ग गज, कॉमन स्टिल्ट पार्किंग एरिया में एक छोटी हैचबैक कार पार्किंग के साथ, खसरा नंबर 441 में से, गांव नवादा माजरा हस्तसाल, दिल्ली राज्य दिल्ली के क्षेत्र में स्थित है, और कॉलोनी जिसे मोहन गार्डन एक्सटेंशन के नाम से जाना जाता है, ब्लॉक-डब्ल्यू, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 में, और, इस प्रकार घिरा हुआ हैः **पूर्वः** अन्य संपत्ति, **पश्चिमः** अन्य संपत्ति, **दक्षिणः** पीछे की ओर फ्लैट/गली 10 फीट, **उत्तरः** सड़क 20 फीट

संपत्ति 2: पहली मंजिल सामने की ओर बिना छत के अधिकार क्षेत्र 62.5 वर्ग गज, निर्मित संपत्ति संख्या डब्ल्यू-23 से बाहर, कुल क्षेत्रफल 125 वर्ग गज, कॉमन स्टिल्ट पार्किंग क्षेत्र में एक छोटी हैचबैक कार पार्किंग के साथ, खसरा नंबर 441 में से, गांव नवादा माजरा हस्तसाल, दिल्ली राज्य दिल्ली के क्षेत्र में स्थित है, और कॉलोनी जिसे मोहन गार्डन एक्सटेंशन के रूप में जाना जाता है, ब्लॉक-डब्ल्यू, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 में, और, इस प्रकार घिरा हुआ हैः **पूर्वः** अन्य संपत्ति, **पश्चिमः** अन्य संपत्ति, **दक्षिणः** पीछे की ओर फ्लैट/गली 10 फीट, **उत्तरः** सड़क 20 फीट।

क्र. सं.	ऋणकर्ता / सह-ऋणकर्ता एवं गारंटर / सह-गारंटर का नाम तथा पता और ऋण खाता संख्या	एनपीए तिथि	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना के अनुसार / तिथि के अनुसार देयराशि
2.	1. **रतन सिंह** संपत्ति संख्या सी-2/3 (ब्लॉक संख्या सी, प्लॉट संख्या 3), डी.एल.एफ. का दूसरा तल, पिछला भाग, कृष्णा नगर, गांव-घोंडली, इलाका शाहदरा, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली-110051 2. **सीमा रतन सिंह** संपत्ति संख्या सी-2/3 (ब्लॉक संख्या सी, प्लॉट संख्या 3), डी.एल.एफ. का दूसरा तल, पिछला भाग, कृष्णा नगर, गांव- घोंडली, इलाका शाहदरा, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली-110051 3. **पाल डेयरी** संपत्ति संख्या सी-2/3 (ब्लॉक संख्या सी, प्लॉट संख्या 3), डी.एल.एफ. का दूसरा तल, पिछला भाग, कृष्णा नगर, गांव-घोंडली, इलाका शाहदरा, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली-110051 4. **रतन सिंह** 388 ए, स्ट्रीट नंबर 7, वेस्ट कांति नगर, कृष्णा नगर, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली-110051 5. **सीमा रतन सिंह** 388 ए, स्ट्रीट नंबर 7, वेस्ट कांति नगर, कृष्णा नगर, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली-110051 6. **पाल डेयरी** 388 ए, स्ट्रीट नंबर 7, वेस्ट कांति नगर, कृष्णा नगर, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली-110051 7. **पाल डेयरी** जी.एफ., आई-एक्स-7517, गली नंबर 4, अमर मोहल्ला, रघुबर पुरा, गांधी नगर, दिल्ली-110031 8. **रतन सिंह** द्वारा पाल डेयरी जी.एफ., आई-एक्स-7517, गली नंबर 4, अमर मोहल्ला, रघुबर पुरा, गांधी नगर, दिल्ली-110031। **ऋण खाता संख्या. LNDEL0HL-01210082414 और LNDEL0HL-01210082415**	10.03.2025	**12.03.2025 पुराना नोटिस दिनांक 16.10.2024 का वापस लिया गया। इस प्रकाशन को प्रभावी नोटिस माना जाएगा।**	**रू. 31,09,645/-** (रुपये इकतीस लाख नौ हजार छह सौ पैंतालीस मात्र) 12.03.2025 तक बकाया मूलधन, बकायों (प्रोद्भूतकृत विलंब शुल्कों सहित) एवं ब्याज के माध्यम से

बंधककृत अचल संपत्ति / संपत्तियों का विवरण : डी.एल.एफ. फ्री होल्ड बिल्ट-अप प्रॉपर्टी नंबर सी-2/3, (ब्लॉक नंबर सी-2, प्लॉट नंबर 3) की दूसरी मंजिल का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग गज है, यानी 83.61 वर्ग मीटर है, (पिछला भाग), जो दूसरी मंजिल पर, छत के स्तर तक, उक्त भूखंड पर अविभाज्य, अविभाज्य, आनुपातिक स्वामित्व अधिकार के साथ, उस पर लगे सभी फिक्सचर और फिटिंग्स के साथ, उक्त भवन में प्रदान की गई सभी सामान्य सुविधाओं, सुख-सुविधाओं के साथ, कृष्णा नगर के लेआउट प्लान में, गांव घोंडली, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110051 के क्षेत्र में स्थित है, और इस प्रकार घिरा हैः **पूर्वः** 30' चौड़ी सड़क, **पश्चिमः** अन्य संपत्ति, **उत्तरः** संपत्ति संख्या सी-2/2, **दक्षिणः** संपत्ति संख्या सी-2/4

हम एतद्द्वारा यहां इसमें उल्लिखित ऋणकर्ता को इस सूचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर बकाया राशि(यों) का राशि पर आकलित भावी ब्याज और लागत, शुल्कों, व्ययों, इत्यादि के साथ भुगतान करने का निर्देश देते हैं। भुगतान करने में विफल रहने पर हम प्रतिभूति हित प्रवर्तित करने को स्वतंत्र होंगे, जिसमें लागत एवं परिणामों से संबंधित संपूर्ण रूप में आपके जोखिम पर प्रतिभूत परिसंपत्ति का अधिग्रहण करने एवं उसका विक्रय करने की स्वतंत्रता सम्मिलित होगी और यह स्वतंत्रता यहीं तक सीमित नहीं होगी। कृपया ध्यान दें कि सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार आप सभी को प्रतिबंधित किया जाता है कि आप कंपनी की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपर्युक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। और यदि आपके द्वारा उक्त धारा का कोई उल्लंघन किया जाता है तो आपको सरफॉएसि अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत निर्धारितानुसार दांडिक प्रावधानों के अनुसार तथा/अथवा इस संबंध में उपलब्ध किसी अन्य विधिक प्रावधान के अनुसार तलब किया जाएगा। कृपया ध्यान रखें कि अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अनुसार, यदि एबीएचएफएल की बकाया देयराशियों का एबीएचएफएल द्वारा उपगत समस्त लागतों, शुल्कों एवं व्ययों के साथ मिलाकर, विक्रय अथवा हस्तांतरण हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व किसी भी समय एबीएचएफएल को भुगतान कर दिया जाता है तो एबीएचएफएल द्वारा प्रतिभूति परिसंपत्ति का विक्रय अथवा हस्तांतरण नहीं किया जाएगा, और एबीएचएफएल द्वारा प्रतिभूत परिसंपत्ति के हस्तांतरण अथवा विक्रय हेतु कोई भावी कदम नहीं उठाया जाएगा।

दिनाँक : 19-03-2025 **हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : दिल्ली **(आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)**

Reliance
Industrial Infrastructure Limited

पंजीकृत कार्यालयः एनकेएम इंटरनेशनल हाउस, ५ वीं मंजिल, १७८ बैकबे रिक्लेमेशन, एलआईसी योगक्षेम बिल्डिंग के पीछे, बाबूभाई चिनाई रोड, मुंबई - ४०० ०२०
फोनः +९१-२२-७९६७ ९०५३ • ई-मेलः investor_relations@riil.in
CIN: L60300MH1988PLC049019

सूचना

(कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के लिए)

विषयः कंपनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण में हस्तांतरण

यह सूचना निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षण, हस्तांतरण और धन वापसी) नियम, २०१६, और इसके संशोधनों ("नियम") के अनुसार प्रकाशित की जा रही है।

अन्य मामलों के बीच, इन नियमों में, सभी शेयर जिनके संबंध में लगातार सात साल या उससे अधिक के लिए लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया ऐसे सभी शेयरों के निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष ("आईईपीएफ") प्राधिकरण के नाम पर हस्तांतरण का प्रावधान है।

नियमों में बताई गयी विभिन्न आवश्यकताओं का पालन करते हुए कंपनी अभी तक संबंध नियत तिथियों पर आईईपीएफ प्राधिकरण को सभी ऐसे शेयर्स हस्तांतरित कर चुकी हैं, जिनके वित्त वर्ष २०१६-१७ या उसके पहले के लाभांश का भुगतान लगातार सात या अधिक वर्षों से बकाया है या उनपर कोई दावा नहीं किया गया है। कंपनी ने दिनांक १८ मार्च, २०२५ के अपने पत्र के माध्यम से उन सभी शेयरधारकों को उचित कारवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से सूचित किया है, जिनके शेयर वित्त वर्ष २०२५-२६ में आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किये जाने वाले हैं।

कंपनी ने ऐसे शेयरधारकों और आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरण किए जाने वाले शेयरों की पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट **www.riil.in** पर अपलोड कर दी है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बेदावा लाभांश के विवरण और शेयर्स जो आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित होने हैं उनकी जानकारी की पुष्टि करने के लिए वेब लिंक **https://www.riil.in/investor_services.html** देखें।

शेयरधारक ध्यान दे कि नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, शेयरधारक बेदावा लाभांश और शेयर दोनों जो आईईपीएफ प्राधिकरण में हस्तांतरित किए हैं, इस तरह के शेयरों पर एकत्रित सभी लाभों सहित, यदि कोई हो, तो आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस दावा कर सकते हैं।

संबंधित शेयरधारक, जो फिजिकल रूप में शेयर्स धारण करते हैं और जिनके शेयर्स आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित होने वाले हैं, वे ध्यान दे कि नियमों के अनुसार कंपनी डिमटेरियलाइज करने के उद्देश्य से और आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरण करने के उद्देश्य से उनके द्वारा धारण किए मूल शेयर प्रमाणपत्र के एवज में नये शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी जिनके कारण मूल शेयर प्रमाणपत्र जो उनके नाम पर पंजीकृत हैं वे स्वयंमेव रद्द हो जाएंगे तथा गैर-परक्राम्य मान लिए जाएंगे। शेयरधारक आगे ध्यान दें कि कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किये गये विवरण को इन नियमों के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरण के प्रयोजन के लिए कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले नये शेयर प्रमाणपत्र के लिए पर्याप्त सूचना माना जायेगा।

यदि कंपनी १७ अगस्त, २०२५ या उससे पहले संबंधित शेयरधारकों से कोई भी संवाद (बेदावा लाभांश/न भुनाया हुआ लाभांश) प्राप्त नहीं करती है, तो कंपनी नियमों में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करने के दृष्टिकोन के साथ, कॉर्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से शेयरों को डिमटेरियलाइज कर आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित कर देगी।

यदि शेयरधारकों को इस विषय पर या नियमों पर कोई प्रश्न है तो वे, **केफिन टेक्नोलॉजीस् लिमिटेड, (युनिटः रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड)** कंपनी के शेयर ट्रांसफर एजंट्स से, पताः सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. ३१-३२, गचिबोवली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद - ५०० ०३२, टोल फ्री नं.: १८००-३०९-४००१ (सभी कार्य दिवसों पर सुबह ९.०० बजे (भारतीय समयानुसार) से शाम ६.०० बजे (भारतीय समयानुसार)), ई-मेलः riilnkm@kfintech.com, वेबसाइटः www.kfintech.com यहां संपर्क करें।

रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षरी/-
स्थान : मुंबई **अमितकुमार मुंडे**
दिनांक : १९ मार्च, २०२५ **कंपनी सचिव और कंप्लायंस ऑफीसर**

www.riil.in

भारतीय साधारण बीमा निगम
(भारत सरकार की कंपनी)
GIC Re
पंजीकृत कार्यालयः "सुरक्षा", 170 जे. टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400020
टेलीफोनः +91-22-2286 7000 फैक्सः +91-22-2288 4010
वेबसाइटः www.gicre.in ई-मेलः investors.gic@gicre.in
सीआईएनः L67200MH1972GOI016133 आईआरडीएआई पंजीकरण संख्या : 112

पोस्टल बैलेट और रिमोट ई-वोटिंग की सूचना

सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी एक्ट, 2013 (एक्ट) की धारा 108 तथा धारा 110 के प्रावधानों, नियम 20 और नियम 22 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के नियम 44 के साथ पठित कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 22/2020, 33/2020, 39/2020, 10/2021, 20/2021 3/2022 11/2022 और 09/2023 और अन्य लागू कानूनों, नियमों और विनियमों (समय-समय पर लागू और समय-समय पर संशोधित किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 17 मार्च, 2025 के पोस्टल बैलेट नोटिस ('नोटिस') में निर्धारित विशेष व्यवसाय की मद को पोस्टल बैलेट के द्वारा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से भारतीय साधारण बीमा निगम ('निगम') के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तावित किया गया है।

सदस्यों को एतद्वारा नोटिस दिया जाता है -

1. निगम ने **18 मार्च 2025** को ई-मेल के माध्यम से सदस्यों को नोटिस भेजने का काम पूर्ण कर लिया है।
2. व्याख्यात्मक विवरण के साथ नोटिस निगम की वेबसाइट www.gicre.in पर, ई-वोटिंग एजेंसी मेसर्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') ह www.evoting.nsdl.com, की वेबसाइट, और स्टॉक एक्सचेंज (एस) की वेबसाइट यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) www.nseindia.com और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) www.bseindia.com पर उपलब्ध है।
3. रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए सदस्यों की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 'कट-ऑफ' तिथि **शुक्रवार, 14 मार्च, 2025** है। जिन सदस्यों का नाम निगम के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है या डिपोजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में कट-ऑफ तारीख तक दर्ज है, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।
4. 'एमसीए' परिपत्रों के अनुपालन में नोटिस की हार्ड कॉपी, पोस्टल बैलेट फॉर्म और प्रीपेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफा सदस्यों को नहीं भेजा गया है। इसलिए, सदस्यों को केवल रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपनी सहमति या असहमति को संप्रेषित करना होगा। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए निगम ने एनएसडीएल को नियुक्त किया है।
5. रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया पर विस्तृत प्रक्रिया/निर्देश नोटिस में निर्दिष्ट हैं।
6. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **बुधवार, 19 मार्च 2025** को सुबह 9.00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी और **शुक्रवार, 18 अप्रैल 2025** को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार किसी सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर वोट डालने के बाद, किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाए
7. ईमेल पते को पंजीकृत/अद्यतन करने का तरीकाः

भौतिक स्वामित्व	भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे कॉर्पोरेशन (investors.gic@gicre.in) या RTA, KFintech (einward.ris@kfintech.com) को एक ईमेल भेजकर अपना ईमेल पता पंजीकृत करवाएं।
डीमैट स्वामित्व	डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत/अपडेट करें।

8. निगम ने डाक मतपत्र प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए सुश्री रागिनी चोकशी (एफसीएस 2390) और उनकी अनुपस्थिति में 'मैसर्स रागिनी चोकशी एंड कंपनी, कंपनी सचिव' से श्री उमाशंकर हेगड़े (एसीएस 22133) को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। पोस्टल बैलेट की वैधता पर संवीक्षक का निर्णय अंतिम होगा।
9. इसका परिणाम संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ निगम की वेबसाइट (www.gicre.in) और एनएसडीएल की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर 22 अप्रैल 2025 को या उससे पहले घोषित किए जाएंगे। ये परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों यानी एनएसई और बीएसई को भी सूचित किए जाएंगे।
10. रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट डालने के संबंध में किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, सदस्य पल्लवी म्हात्रे एनएसडीएल से evoting@nsdl.com ई-मेल भेजकर या **022-48867000** (टोल फ्री) पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

भारतीय साधारण बीमा निगम के लिए
हस्ताक्षरित
स्थानः मुंबई सुरेश सावलिया
दिनांकः 18.03.2025 कंपनी सचिव

www.readwhere.com